न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–141 / 2020
GCMS No.- 2020/00180

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
आसुराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी कुचामन सिटी जिला नागौर राज.		1. जिला रसद अधिकारी, नागौर 2. प्रवर्तन निरीक्षक कुचामन सिटी नागौर राज.

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामकिशोर सोनी।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक(अभियोजन) श्री देवाराम सारण ।

निर्णय **दिनांक–** 12/11/2020

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 59 / 2020 राजस्थान सरकार बनाम आसूराम में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2. प्रकरण में वकील अपीलांट अपील के साथ मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रकरण में अपीलांट द्वारा S.B.C.W.P. No. 7773 / 2020 आसूराम बनाम राज. सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.09.2020 की प्रति प्रस्तुत की। उक्त आदेश की प्रति के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर उसे मियाद अवधि में मानकर यथा संभव 15 दिवस में अपील का निस्तारण करने के निर्देश होने से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अपील मयाद शुमार की गई है, जो इस प्रकरण में आदेशिका दिनांक 25.09.2020 से स्पष्ट है।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को कुचामन शहर के वार्ड संख्या 5 व 9 में उचित मूल्य की दुकान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नियमानुसार वर्ष 2002 से जारी की हुई अपीलांट के प्राधिकार पत्र 617 / 02 है। प्रार्थी के द्वारा उक्त उचित मुल्य दुकान कुचामन शहर में पिछले करीब 18 सालों से राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो व मानको के आधार पर व्यवसाय कर उचित मुल्य पर सामानों की बिक्री की जाती रही है।

3(1)–अपीलांट जरिये प्राधिकार पत्र संख्या 617 / 02 से कुचामन शहर में उचित मूल्य दुकान पोश मशीन संख्या 17620 के जरिये कार्यरत रहा है तथा अपीलांट ने सदैव पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से प्राधिकार पत्र की शर्तो के अनुसार उचित मूल्य दुकान का संचालन करता रहा है जिससे किसी भी उपभोक्ता राशनकार्डधारी को कोई शिकायत नहीं रही थी व नियमानुसार दुकान संचालित करता रहा है। कार्यालय [illegible] दिनांक 28.04.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक विरेन्द्रसिंह जाखड़ ने अपीलांट की दुकान का निरीक्षण करना बताया तथा यह आक्षेप लगाये कि मौके पर दुकान बन्द [illegible] कोविड 19 के संक्रमण के समय दुकान को खुला रखना था, निरीक्षण [illegible] राशन कार्डो की रेंडम जांच करने तथा उपभोक्ताओं से दूरभाष व मौके पर बुलाने पर 6 राशन कार्ड में से केवल दो उपभोक्ताओं ने डीलर से गेंहू लेना स्वीकारा जबकि 4 उपभोक्ताओं को डीलर द्वारा गेंहू नहीं दिया, आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:29 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

आरोप लगाते हुए उक्त राशनकार्डो की रेंडमली जांच में 55 किलो गेंहू का गबन करने के मनगढ़त आरोप अपीलांट पर लगाये है।

3(2)—उक्त आक्षेप लगाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भेजी जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कार्यवाही करते हुए बिना किसी भी प्रकार की सुनवाई या अपीलांट को अपना पक्ष रखने का मौका दिये बगैर की आनन फानन में अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 01.05.2020 को निलम्बित कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से दिनांक 01.05.2020 को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति भी अपीलांट को नहीं हुई फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी मनमानी करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया जो सरासर गलत है।

3(3)—रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 01.05.2020 को बिना किसी भी जांच या सुनवाई की प्रकिया अपनाते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया तथा इसी क्रम में दिनांक 08.07.2020 को अपीलांट का प्राधिकार बिना किसी सुनवाई व विधिवत प्रक्रिया अपनाये हुए ही निरस्त कर दिया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जिस अधिकारी के द्वारा कथित कोई जांच प्रतिवेदन बनाकर पेश किया जाता है उसके संबंध में डिलर की पूर्ण सुनवाई की जाना व डिलर को अपनी ओर से साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए व कोरोना माहमारी के दौर में इतनी जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के ऐसा कठोरतम निर्णय किया जाना कतई आवश्यक नहीं होते हुए इन सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए विद्वान जिला रसद अधिकारी ने एकतरफा निर्णय पारित कर दिया है। जांच अधिकारी व जिला रसद अधिकारी ने निर्णय प्रार्थी/अपीलांट के विरूद्व एकतरफा, बिना किसी सुनवाई के दिनांक 08.07.20 को निर्णय पारित कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया है जांच अधिकारी ने केवल मात्र अपना टारगेट पूरा करने के लिये ही कथित जांच प्रतिवेदन दिनांक 28.04.2020 को बनाया है जबकि स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कार्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस में जांच दिनांक 27.04.2020 को करना बताया है जबकि प्रवर्तन निरीक्षक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट/शिकायत दिनांक 28.04.2020 को बनाई ऐसी स्थिति में यह साफ हो जाता है अपीलांट के विरूद्व की गई कार्यवाही पूर्णरूपेण दुर्भावनाओं से ग्रसित है व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

3(4)—रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण व विनियमन) आदेश 1976 के आज्ञापक प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की गई है तथा उक्त प्रावधानों की अवहेलना व नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो हस्तक्षेप योग्य है।

3(5)—अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया है जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लघंन होता है तथा अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र में बताई गई किसी शर्त का उल्लघंन नहीं किया है, जिससे आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)—अपीलान्ट ने नियमानुसार उपभोक्ताओं को सामान वितरण किया है। रेण्डमली जॉच 6 उपभोक्ताओं की करवाई गई थी, जिसमें से दो उपभोक्ताओं ने अपना समान प्राप्त करने की बात बताई तथा बाकी अन्य चार उपभोक्ताओं ने अपना सामान प्राप्त करना अंकन कर अपने बयान प्रस्तुत किये गये है, इससे साफ है कि अपीलान्ट ने किसी भी प्रकार से कोई गबन नहीं किया है।

3(7)—अपीलांट ने ऑनलाईन राशन सामग्री का वितरण किया है जो राशन कार्ड या रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सका इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि कोरोना संक्रमण हो जाने के डर से खाद्य विभाग राज. सरकार के द्वारा आदेश जारी कर फिंगर प्रिन्ट या अंगुठा निशान लगाकर केवल मात्र ओ टी पी से ही सामान का वितरण की जावे इस आदेश की पालना में वितरण किया गया था जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

3(8)—अपीलांट एक वृद्व तथा विकलांग व्यक्ति है तथा कुचामन सिटी नागौर से करीब 100 कि.मी. की दूरी पर स्थित है जिस कारण अपीलांट रेस्पोडन्ट के कार्यालय में सम्पर्क नहीं कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:29 IST
Reason: SelfAttested

सका इसके अलावा रेस्पोडन्ट ने अपीलांट को जारी किये गये नोटिस की तामिल से पूर्व ही अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को जारी किये गये प्राधिकार पत्र को दिनांक 01.05.2020 को निलम्बित तथा दिनांक 08.07.2020 को निरस्त कर दिया है जो सरासर गलत है।

3(9)–उक्त अपीलांट के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है ना ही कोई पूर्व की शिकायत अपीलांट के रही है ना ही किसी भी उपभोक्ता ने अपीलांट के विरूद्व असंतोष भी जताया है डिलर ने इस तरह की वैश्विक महामारी के दौर में भी अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए समय समय पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई है इसके बावजूद इस दौर में भी डीलर को प्राधिकार पत्र आनन फानन मे निरस्त करने से डीलर के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है डीलर के विरूद्व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर की गई है डिलर को दिनांक 01.5.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तथा इसी दिन बिना किसी तामिल के प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया जाता है तथा एक नोटिस दिनांक 15.05.2020 को जारी किया जाता है उक्त नोटिस की तामिल नहीं होती है फिर भी प्रार्थी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 08.07.2020 को निरस्त कर दिया जाता है, जो निरस्त की जाने योग्य है।

3(10)–उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर सर्वप्रथम जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में बनी वितरण कमेटी समक्ष प्रकरण रखा जाता है तत्पश्चात उपभोक्ताओं से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है ओर डीलर से भी सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत प्राप्त कर कार्यवाही की जाती है जबकि इस प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं किया गया है केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सम्पूर्ण कार्यवाही को अंजाम देते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया है जो सरासर गलत है।

3(11)–सम्पूर्ण वाकियात व परिस्थितियों को देखते हुए यह साफ साबित होता है कि प्रार्थी/अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के द्वारा बिना किसी वजह के मेलाफाईड इन्टेशन से तंग व परेशान किया जा रहा है।

3(12)–उक्त सभी कारणो से प्रेरित होकर अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट पिटिशन संख्या 7773/2020 पेश की है जिसमें अपीलांट को हाजा न्यायालय में उक्त अपील पेश करने के निर्देश दिनांक 14.09.2020 को जारी किये गये है जिसकी फोटो प्रति इस अपील के साथ पेश की गई है, इत्यादि कथन करते हुए अपीलार्थी के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा जारी किये आदेश दिनांक 08.07.2020 को अपास्त कर अपीलांट के पक्ष में जारी किया गया प्राधिकार पत्र को बहाल करने एवं अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांट हो प्रदान करने का निवेदन किया।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 05.04.2020 कम में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट डीलर की जॉच की गई, जिसमें अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई, जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा घर घर वितरण के दौरान चार्जिंग के लिए बोर्ड बनवाने जाना बताया। इस कथन के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा बोर्ड बनवाने के संबंध में अपने कथन के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे अपीलान्ट का कथन पूर्णतः अविश्वसनीय है। एबेन्स राशनकार्डों की रेण्डमली जॉच करने पर अपीलान्ट द्वारा 6 उपभोक्ताओं में से 2 उपभोक्ताओं को ही भौतिक रूप से राशन वितरण किया गया तथा 4 उपभोक्ताओं को भौतिक रूप से राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया। राशनकार्ड संख्या–111301800357 उपभोक्ता सोहनलाल है, वह परिवार सहित गुजरात रहता है, अपीलान्ट द्वारा सोहनलाल को 10 किलोग्राम गेहूँ का वितरण दर्शाया है, जबकि उक्त सोहनलाल से दूरभाष पर वार्ता करने पर गेहूँ नहीं लेना बताया। इसी प्रकार तीन उपभोक्ताओं राशनकार्ड संख्या 200002044731 ओमप्रकाश को 10 किलोग्राम, राशनकार्ड संख्या 111301600356 मुरलीधर को 25 किलोग्राम, राशनकार्ड संख्या 111300500007 नंगीलाल को 10 किलोग्राम गेहूँ का वितरण दर्शाया गया है, जबकि उक्त उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री मिलने से मना किया है। अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:29 IST
Reason: SelfAttested

डीलर द्वारा अप्रेल 2020 में शतप्रतिशत गेहूँ का वितरण बिना ओटीपी ट्राजेक्शन किया जिसके संबंध में प्रस्तुत वितरण रजिस्टर की जाँच में उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर के कॉलम में डीलर द्वारा स्वंय फर्जी हस्ताक्षर किये गये है, इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा को संतुष्टिपरक जबाब नहीं दिया। उक्त संबंध में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण दर्ज कर पत्रांक–689 दिनांक 01.05.2020 के द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया, जो बाद तामील प्राप्त हुआ है। विभागीय प्रकरण में तारीख पेशी 18.06.2020 नियत की हुई थी, परन्तु दिनांक 08.06.2020 को अपीलान्ट जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2020 की प्रति प्रस्तुत की। जिसके कम में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपने आदेश कमांक 991 दिनांक 09.06.2020 से अपीलान्ट को उ0मू0दु0 वार्ड नम्बर 5 से 9 का अस्थाई कार्यभार पुनः दिलाया गया साथ ही अपीलान्ट को पुनः कारण बताओं नोटिस दिनांक 09.06.2020 को जारी किया। उक्त संबंध में विभागीय प्रकरण पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.06.2020 पर अपीलान्ट हस्ताक्षर है तथा प्रकरण में आगामी पेशी 18.06.20 को नियत होने का उल्लेख है। आदेशिका दिनांक 18.06.20 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा जबाब हेतु समय चाहा गया जिस पर आगामी पेशी 02.07.2020 को नियत की गई। पेशी दिनांक 02.07.2020 को अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर आगामी पेशी 08.07.2020 को नियत की गई। दिनांक 08.07.2020 अपीलान्ट अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट का जबाब बंद कर प्रकरण में निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे की अपीलान्ट विरुद्ध पारित निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश कमांक–588–594 दिनांक 05.04.2020 सन्दर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट डीलर की जाँच की गई, जिसमें अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई, जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा घर घर वितरण के दौरान चार्जिंग के लिए बोर्ड बनवाने जाना बताया। इस कथन के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा बोर्ड बनवाने के संबंध में अपने कथन के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, इसलिए अपीलान्ट का कथन कि घर घर वितरण के दौरान चार्जिंग के लिए बोर्ड बनवाने जाने का कथन विश्वनीय प्रतीत नहीं होता है।

5(1)–फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 27.04.2020 के अनुसार एबेन्स राशनकार्डों की रेण्डमली जाँच करने पर अपीलान्ट द्वारा 4 उपभोक्ताओं को भौतिक रूप से राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया। राशनकार्ड संख्या–111301800357 उपभोक्ता सोहनलाल है, वह परिवार सहित गुजरात रहता है। अपीलान्ट द्वारा सोहनलाल को 10 किलोग्राम गेहूँ का वितरण दर्शाया है, जबकि उपभोक्ता सोहनलाल से दूरभाष पर वार्ता करने पर गेहूँ नहीं लेना बताया। इसी प्रकार अन्य तीन उपभोक्ताओं राशनकार्ड संख्या 200002044731 ओमप्रकाश, राशन कार्ड संख्या 111301600356 मुरलीधर, राशनकार्ड संख्या 111300500007 मांगीलाल को गेहूँ का वितरण दर्शाया गया है, जबकि उक्त उपभोक्ताओं ने गेहूँ मिलने से मना किया है तथा उक्त उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में भी प्रविष्टि दर्ज नहीं है। उक्त संबंध में उपभोक्ताओं के समक्ष उर्फ फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 27.04.2020 को मौके पर तैयार की गई है, जिस पर उपभोक्ताओं एवं अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर अंकित है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोपों के खण्डन के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इससे अपीलान्ट के विरुद्ध उक्त आरोप स्पष्टतया साबित है।

5(2)–अपीलान्ट डीलर द्वारा अप्रेल 2020 में शतप्रतिशत गेहूँ का वितरण बिना ओटीपी ट्राजेक्शन किया जिसके संबंध में प्रस्तुत वितरण रजिस्टर की जाँच में उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर के कॉलम में डीलर द्वारा स्वंय फर्जी हस्ताक्षर किये गये है, इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलान्ट के विरुद्ध उक्त आरोप की ताईद हो सके। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्ट के विरुद्ध उक्त आरोप को साबित करने के संबंध में कोई दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं तो अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी द्वारा किस आधार पर उक्त आरोप को प्रमाणित माना है। यह अप्रत्याशित और बहुत ही गंभीर स्थिति है।

5(3)–प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा उसे सुनवाई, साक्ष्य सबूत आदि पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिये जाने को लेकर कथन है तो उक्त संबंध में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण दर्ज कर पत्रांक–689 दिनांक 01.05.2020 के द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया, जो बाद तामील प्राप्त हुआ है। विभागीय प्रकरण में तारीख पेशी 18.06.2020 नियत की हुई थी, परन्तु दिनांक 08.06.2020 को अपीलान्ट जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2020 की प्रति प्रस्तुत की। जिसके कम में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपने आदेश कमांक 991 दिनांक 09.06.2020 से अपीलान्ट को उ0मू0दु0 वार्ड नम्बर 5 से 9 का अस्थाई कार्यभार पुनः दिलाया गया साथ ही अपीलान्ट को पुनः कारण बताओं नोटिस दिनांक 09.06.2020 को जारी किया। उक्त संबंध में विभागीय प्रकरण पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.06.2020 पर अपीलान्ट हस्ताक्षर है तथा प्रकरण में आगामी पेशी 18.06.20 को नियत होने का उल्लेख है। आदेशिका दिनांक 18.06.20 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा जबाब हेतु समय चाहा गया जिस पर आगामी पेशी 02.07.2020 को नियत की गई। पेशी दिनांक 02.07.2020 को अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर आगामी पेशी 08.07.2020 को नियत की गई। दिनांक 08.07.2020 अपीलान्ट अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट का जबाब बंद कर प्रकरण में निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इसलिए वकील अपीलान्ट का कथन की अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य सबूत आदि पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया, उक्त तथ्यों के अनुसार वकील अपीलान्ट का उक्त कथन कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है।

6. अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि अपीलान्ट डीलर द्वारा अप्रेल 2020 में शतप्रतिशत गेहूँ का वितरण बिना ओटीपी ट्राजेक्शन किया जिसके संबंध में प्रस्तुत वितरण रजिस्टर की जॉच में उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर के कॉलम में डीलर द्वारा स्वंय फर्जी हस्ताक्षर किये गये है। उक्त आरोप के अलावा अन्य सभी आरोप साबित पाये जाने से उक्त साबित पाये गये आरोपों की हद तक निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि अपीलान्ट डीलर द्वारा अप्रेल 2020 में शतप्रतिशत गेहूँ का वितरण बिना ओटीपी ट्राजेक्शन किया जिसके संबंध में प्रस्तुत वितरण रजिस्टर की जॉच में उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर के कॉलम में डीलर द्वारा स्वंय फर्जी हस्ताक्षर किये गये है, के संबंध में प्रकरण जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह पक्षकारान को पुनः सुनवाई, साक्ष्य व सबूत आदि का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि अनुसार निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:29 IST
Reason: SelfAttested